भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय **लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 2520

09 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2520. श्री डॉ. भारती प्रवीण पवार:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में महाराष्ट्र में प्रचालनशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है और इनमें संलग्न श्रीमकों की संख्या क्या है;
- (ख) महाराष्ट्र में उन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वित्तीय और तकनीकी रूप से सहायता प्रदान की गई है;
- (ग) देश में प्रतिवर्ष सड़ने वाली सब्जियों, फलों और खाद्यान्नों का कुल मूल्य कितना है; और
- (घ) महाराष्ट्र में सब्जियों और फलों को सड़ने से रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)

- (क): उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण, 2016-17 के अनुसार महाराष्ट्र में 2,424 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें/कारखाने प्रचालनशील हैं और उनमें 2,23,624 व्यक्ति नियोजित हैं।
- (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रैला स्कीम प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित की गई अनुदान सहायता के साथ वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र में अनुमोदित किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्नक में दिया गया है।
- (ग): केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), लुधियाना द्वारा "भारत में प्रमुख फसलों एवं जिंसों की फसल एवं फसलोत्तर हानियों का मात्रात्मक आकलन" के बारे में किए गए अध्ययन के अनुसार प्रमुख कृषि उत्पादों की राष्ट्र स्तर पर फसल एवं फसलोत्तर हानियों का अनुमानित वार्षिक मूल्य 92,651 करोड़ रुपए था। यह अध्ययन 2012-13 के उत्पादन आंकड़ों और वर्ष 2014 के थोक मूल्यों पर आधारित था।
- **(घ):** सरकार निम्नलिखित स्कीम घटकों के साथ केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रैला स्कीम प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है:-
 - 1. मेगा फूड पार्क,
 - 2. एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना,
 - 3. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार,
 - 4. कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना,
 - 5. बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन,
 - 6. खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; और
 - 7. मानव संसाधन एवं संस्थान ।

मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर चयनित राज्यों जिनमें महाराष्ट्र राज्य शामिल है में टमाटर, प्याज एवं आलू (टीओपी) फसलों के एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास हेतु नवम्बर, 2018 से पीएमकेएसवाई की एक वर्टीकल स्कीम के रूप में "ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमकेएसवाई की घटक स्कीमें अर्थात मेगा फूड पार्क्स, एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना और बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीमें महाराष्ट्र राज्य समेत देश में कृषि उपजो की फसलोंत्तर हानियों/बर्बादी को रोकने के लिए अन्य के साथ-साथ, खेत से लेकर उपभोक्ता तक संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला सिंहत मजबूत आधुनिक अवसंरचना सृजन करने के मुख्य उद्देश्य से कार्यान्वित की जाती हैं।

ये स्कीमें मांग प्रेरित हैं। पात्र आवेदक को वित्तीय सहायता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसर दी जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज), उद्यमियों, सहकारी सिमितियों, सोसायिटयों, स्व-सहायता समूहों(एसएचजीज), निजी कंपनियों और केंद्र/राज्य सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए पूंजी सब्सिडी अनुदान सहायता के रूप में दी जाती है।

<u>संलग्नक</u>

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में दिनांक 09 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2520 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

पीएमकेएसवाई की स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित अनुदान की राशि सहित अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित अनुदान की राशि (करोड़ रुपए)
1	मेगा फूड पार्क	3	148.82
2	एकीकृत शीत श्रृंखला	67	481.64
3	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार	24	76.13
4	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर	8	74.21
5	बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज	13	38
	कुल	115	818.8